

## प्रेसनोट दिनांक 02.05.2021

1. दिनांक 01.05.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जावेद पुत्र मो0 अख्तर नि0 2/5/222 कंधारी बाजार रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या आदि 02 नफर व 01 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा सट्टा लगाना, मौके से 04 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद कैलुकेलेटर, 04 अदद पेन, 02 अदद सट्टा रजिस्टर व 09 अदद सट्टा पर्ची तथा सट्टा फड- 5520 रू0 व जामा तलाशी -610 रू0 बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 273/21 धारा 419, 420 भादवि व 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 01.05.21 को वादी श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र राम जगत यादव नि0 रामपुर हलवारा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र यादव पुत्र बासुदेव यादव पता अज्ञात गाड़ी हटाने की बात को लेकर अभि0 द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 221/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 01.05.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि डैनी पुत्र सतीश नि0 चॉदपुर हॉसापुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 222/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 01.05.21 को वादी श्री अजीत कुमार यादव पुत्र संतराम यादव नि0 बिसाही थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेश पुत्र धीरज नि0 चमनगंज थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर टेण्ट में मैट बिछाने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा शराब के नशे में वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 198/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 01.05.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश कुमार पुत्र श्यामजी गुप्ता नि0 बिड़हार थाना को0रूदौली अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क लगाये दुकान खोलकर भीड़ एकत्र करना जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 200/21 धारा 188, 269, 270 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।